

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 16.06.2026

संख्या-1/सी०-1009/2026-सा०प्र०-10721/चयन सूची, 2025 के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम-5(1) के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-14015/04/2026-एआईएस(I)-बी दिनांक 11.06.2026 के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम-8(1)-सह-भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के पठित विनियम-9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम-3 के तहत राज्य असैनिक सेवा (बिहार प्रशासनिक सेवा) के 14 (चौदह) पदाधिकारियों की भा.प्र.से. (बिहार संवर्ग) में नियुक्ति अधिसूचित की गई है।

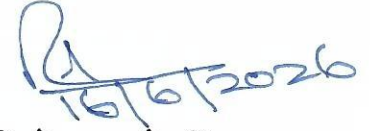
2. भारत सरकार की आलोच्य अधिसूचना दिनांक 11.06.2026 से राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भा.प्र.से. (बिहार संवर्ग) में नियुक्त पदाधिकारी और उनके स्तर से बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में धारित वर्तमान पद निम्नवत् हैं:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	बि.प्र.से. के रूप में धारित वर्तमान पद
1	श्री मृणायक दास (2016)	अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
2	श्री मनोरंजन कुमार (2016)	निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
3	श्री विकास कुमार (2016)	अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, बिहार युवा आयोग, पटना)
4	डॉ. गगन (2016)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना
5	श्री अंजनी कुमार (2016)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णिया
6	मो. इजतबा हुसैन (2016)	संयुक्त सचिव, सांस्थिक वित्त शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना
7	श्री रजनीश कुमार (2016)	अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

8	श्री विधु भूषण चौधरी (2016)	संयुक्त सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना
9	मो. वसीम अहमद (2017)	विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
10	श्री कृत्यानन्द रंजन (2017)	संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना
11	मो. राशिद आलम (2017)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पटना
12	श्री इब्रार अहमद खाँ (2017)	सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
13	श्री मनोज कुमार (2017)	संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
14	श्री हेमन्त कुमार सिंह (2017)	अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना

3. बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त उपर्युक्त कंडिका-2 के पदाधिकारी अगले आदेश तक सम्प्रति धारित पद/पदों का प्रभार भा.प्र.से. (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में ग्रहण करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/सी०-1009/2026-सा०प्र०-10721/पटना-15, दिनांक: 16.06.2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा-आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली-110001/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली-110001/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना/राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित

जिला पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई.टी. प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी.डी. के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 06, 12, 14 एवं चारित्रि कोषांग (बि.प्र.से.) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफआर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

“Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post.”


16/6/2026
सरकार के अवर सचिव।